

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
पर्वी डिक्री  
टिब्बी जिला हनुमानगढ

मि0न0:-490/2025

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

1. काशीराम  
2. मुखराम  
3. भूराराम  
4. हुक्माराम
- पि0 रुपराम जाति भीणा निवासीयान मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ ।

बनाम्

वादीगण

1. राकेश कुमार  
2. रोहताश कुमार  
3. शैलेन्द्र कुमार  
4. गुड्डी देवी पत्नी शंकरलाल  
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।  
6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

पि0 शंकरलाल  
अकवाम भीणा निवासीयान मिर्जावाली मैर  
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।



प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/3/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी सं० 1 काशीराम को प्राप्त आराजी- चकनं० 6 बी. आर. एन. के खाता सं० 77 /84 के प०न० 210/383 मु० 4 किला नं० 14, 15/1/.228, 15/2/.025 है० गै०मु० खाला, 16/1/.228, 16/2/.025 है० गै०मु० खाला, 17, 18, 19, 20 /2 / .228,

ख. वादी सं० 2 मुखराम को प्राप्त आराजी - चकनं० 4 बी. आर. एन के खाता सं० 58/64 में अंकित कुल 1.7710 है० आराजी

ग. वादीसं० 3 भूराराम को प्राप्त आराजी - चकनं० 1 बी.पी.एम. के खाता सं० 70/62 के प०न० 196/389 मु० 29 किला नं० 16/1/.228, 16/2/.025 है० गै०मु० खाला, 25/1/.228, 25/2/.025 है० गै०मु० खाला, प०न० 197/389 मु० 30 किला नं० 21, प०न० 197/ 390 मु० 39 किला नं० 1,2,9,10,

घ.वादीसं० 4 हुक्माराम को प्राप्त आराजी- चकनं० 1 बी. पी. एम. के खाता सं० 70/62 के प०न० 196/389 मु० 29 किला नं० 5/1/202, 5/2/051 गै०मु० खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है० गै०मु० खाला, 15/1/.228, 15/2/.025 है० गै०मु० खाला, प०न० 197/389 मु० 30 किला नं० 1/1/.228, 1/2/.025 गै०मु० खाला, 10,11,20,

इ. प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 राकेश कुमार, रोहताश कुमार, शैलेन्द्र कुमार व गुड्डी देवी को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी- चक नं० 6 बी. आर. एन. के खाता सं० 77/84 के प०न० 210/ 383 मु० 4 किला नं० 22, 23, 24, 25 /1/.228, 25/2/.025 है० गै०मु० खाला, प०न० 210/384 मु० 9 किला नं० 2,3,4 इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे व चकनं० 6

सहायक कलक्टर  
टिब्बी

बी. आर. एन. के खाता सं० 77/84 में से भूराराम, मुखराम, हुक्माराम मीणा का नाम कलमजन, चकनं० 4 बी. आर. एन के खाता सं० 58/64 में से काशीराम, गुड्डी देवी, भूराराम, राकेश कुमार, रोहिताश कुमार, शैलेन्द्र कुमार, हुक्माराम मीणा का नाम कलमजन, चक नं० 1 बीपीएम कें खाता सं० 70/62 में से काशीराम, गुड्डी देवी, मुखराम, राकेश कुमार, रोहिताश, शैलेन्द्र कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनासयण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।